63

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 340–तीन/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 02–01–2014 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर– प्रकरण क्रमांक 75 अ 68/2013–14 अपील

शाहिद अली पुत्र सैयद अली
ग्राम हिरनखेड़ा तहसील राहतगढ़
जिला सागर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विष्द्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 15–3.–2016 को पारित)

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 75 अ 68/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–1–14 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका नंबर 17 तहसील राहतगढ़ ने तहसीलदार राहतगढ़ को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक ने ग्राम हिरनखेड़ा स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 566/2 रकबा 2.20 हैक्टर पर अतिक्रमण कर लिया है कार्यवाही की जावे। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 255 अ 68/ 2011–12 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7–3–12 पारित करके आवेदक पर रूपये 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये अतिक्रमित शासकीय भूमि पर खड़ी गेहूँ की

फसल जप्त कर फसल विक्रय की राशि शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 26 अ 68/11-12 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.10.12 पारित किया एंव अपील निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 75 अ 68/2013-14 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 2-1-14 से अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना पाने से निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 75 अ 68/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-1-14 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश में अंकित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के प्रकरण क्रमांक 26 अ 68/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.10.12 के विरूद्ध उनके समक्ष अपील दिनांक 22-10-13 को लगभग 11 माह 20 दिवस के अन्तर से प्रस्तुत की गई है जो अवधि वाह्य है क्योंकि विलम्ब के दिन प्रति-दिन का हिसाव नहीं दिया गया है। विलम्ब के दिन-प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया एंव विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं बताया गया, तभी अपर आयुक्त सागर संभाग ने समयावधि के बिन्दु पर अपील निरस्त की है । भू राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 - धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - समय बर्जित

अपील/निगरानी में आदेश - समय वर्जित अपील/निगरानी में परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश व्दारा विनिश्चत् किया जाना आवश्यक है। भू राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 - धारा 47 - समय बर्जित अपील - विलम्ब माफी हेतु आवेदन - आदेश की जानकारी का समाधान-कारक श्रोत नहीं बताया - दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टकरण नहीं दिया - विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। भू राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 - धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त व्दारा लगभग 11 माह 20 दिवस के विलम्ब को क्षमा नहीं करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील क्रमांक 75 अ 68/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-01-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर